



चमन लाल महाविद्यालय (स्वायत्त)

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

(अशासकीय सहायता प्राप्त)

(सम्बद्ध : श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही चौक, टिहरी-गढ़वाल)
लण्डौरा (हरिद्वार) उत्तराखण्ड



पत्रांक सं. 589/3/2024

दिनांक 15.07.2024

कार्यालय आदेश

स्वायत्त महाविद्यालय के शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 06.07.2024 में लिए गए निर्णय के क्रम में अध्ययन मंडल (B.O.S.) के गठन एवं कार्यों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2023 के अनुरूप किया जाता है। जो कि निम्नवत है :

(क) संबंधित विभाग प्रभारी (अध्यक्ष)।

(ख) विभाग के सभी संकाय सदस्य।

(ग) अकादमिक परिषद द्वारा नामित किये जाने वाले मूल विश्वविद्यालय के बाहर से दो विषय विशेषज्ञ।

(घ) स्वायत्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छह के सूची में से कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ।

(ङ) प्राचार्य द्वारा नामित उद्योग/कॉर्पोरेट क्षेत्र/संबंधित क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि।

(च) प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों में से एक सदस्य को नामित किया जाएगा।

(छ) जब भी विशेष अध्ययन के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने हों, स्वशासी महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ प्राचार्य द्वारा नामित किए जाएंगे।

कार्यकाल : मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

बैठकें : अध्ययन समिति की बैठकें हर छह महीनें में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।



(डॉ. सुशील उपाध्याय)

प्राचार्य
प्राचार्य

चमन लाल महाविद्यालय
मंगलौर रोड, लण्डौरा
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)